विधिवत स्वीकृत जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशांतर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Bearing) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।

उपरोक्त अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या– एस0बी0–25230 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम नई दिल्ली लोधी काम्पलेक्स (Compensatory Afforestation, Fund (CAF) Uttar Pradesh S B A/C No. 25230 Corporation Bank New Delhi -110003) में जमा की जायेगी जिसके उपरान्त ही पावती (रसीद) की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का आर0टी0जी0एस0 /ई–पेमेन्ट/एन0एफ0टी0 (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैधान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात (एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशियों का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाय। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृत पर विचार किया जायेगा। उक्त समस्त धनराशि जमा होने के पश्चात ही कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन संरक्षण अधिनियम–1980 के तहत विधिवत स्वीकृत जारी करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। याचक विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण के विधिवत स्वीकृत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते हैं।

(जावेद अख्तर)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी

संख्या / उक्तदिनांकित।

1– प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0 प्र0, लखनऊ को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2– प्रतिलिपि वन संरक्षक, सरयू वृत्त, उ0 प्र0, फैजाबाद को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

3– प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृत एवं उ0 प्र0 सरकार का शासनादेश जारी नहीं हो जाता अथवा इस कार्यालय से कोई अग्रिम आदेश नहीं दिया जाता है तब तक कोई ऐसा कार्य न करने दिया जाय जिससे वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशो का उल्लंघन हो तथा कार्य के दौरान सभी विन्दुओं का अनुपालन याचक विभाग से सुनिश्चित कराया जाय।

(जावेद अख्तर)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी

त्रिभुवन/–

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।
पत्रांक 2127/ 14–4–4 बाराबंकी,दिनांक 18/12/2015

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग,
निर्माण खण्ड–3 बाराबंकी।

विषयः– बाराबंकी–देवां–फतेहपुर मार्ग किमी0 2–3 के मध्य दायी तरफ दाहिने गेड़हानाले पर पुलिया निर्माण एवं उसके पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु 0.285 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 20 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र अलीगंज लखनऊ का पत्रांक– 8बी/यू0पी0/06/31/2015/एफ0सी0/1042 दिनांक 08–12–2015 तथा नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक वन उपयोग वृत्त उ0 प्र0 लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक– 956/11–सी–यू0पी0–075/2015 दिनांक 02–11–2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ का पत्रांक– 8बी/यू0पी0/ 06/31/2015/एफ.सी. /1042 दिनांक 08–12–2015 के द्वारा जो नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक वन उपयोग वृत्त उ0 प्र0 लखनऊ को सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी एवं अन्य के साथ आप को पृष्ठांकित है, के क्रम में 0.285 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु एवं 20 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति, प्रभावित वन भूमि 0.285 हे0 के दोगुने 0.57 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि एवं (मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 2002/1995 के आदेशानुसार भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0 की धनराशि) का अगल–अलग (E Pement) के माध्यम से दिनांक 14–10–2015 के बाद से लागू नई प्रक्रिया के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सम्बन्धित व्यवसाइट www.forestsclearance.nic.in में चालान के माध्यम से सम्बन्धित खाते प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation, Fund (CAF) Uttar Pradesh S B A/C No. 25230) मे चालान द्वारा जमा करते हुए ई–पेमेन्ट के चालान की स्लिप के साथ सभी विन्दुओ पर अपनी सुस्पष्ट अनुपालन आख्या पांच प्रतियों सहित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित किया जाय।

उक्त के अभाव में विधिवत स्वीकृत की अनुमति प्राप्त होना सम्भव नहीं होगा जिससे उक्त सूचना मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) उ0 प्र0, लखनऊ एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0 प्र0 लखनऊ को भेजी जा सके।

1– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि 0.285 हे0 के दोगुने अनवत वन भूमि अर्थात 0.57 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरो को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) रू0– 191200/– (एक लाख इक्यानवे हजार दो सौ रूपया मात्र) जमा करते हुए ई–पेमेन्ट के चालान की प्रति संलग्न करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

2– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी) की निर्धारित धनराशि (0.285 x 803000) रू0 228855/– (रू0 दो लाख अट्ठाइस हजार आठ सौ पचपन मात्र) जमा करते हुए ई–पेमेन्ट के चालान की प्रति सहित उपलब्ध कराया जाय।

3– प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एन0 पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

4– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना अधोहस्ताक्षरी से स्वीकृत कराकर प्रस्तुत किया जाय, जिससे उक्त परियोजना को उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

5– भारत सरकार के निर्देशानुसार इण्डियन रोड कांग्रेस के दिशा निर्देशो के अनुरूप सड़क के दोनो ओर 40 ब्रिकगार्ड में सुरक्षा व्यवस्था कर पौधरोपण किया जायेगा। जिस हेतु रू0 230000/– की आवश्यकता होगी, यह धनराशि रू0 230000/– (रू0 दो लाख तीस हजार मात्र) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्बन्धित खाते में जमा किया जायेगा।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com